

प्रेस नोट

दिनांक 18.11.2022

सराहनीय कार्य थाना जगदीशपुर
भारी मात्रा में प्रतिबंधित वन्य जीव बरामद

782 अदद कछुआ प्रतिबंधित वन्य जीव (कीमत लगभग रुपये 07 लाख) के साथ 01 नफर वन्य जीव तस्कर गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.11.2022 को उ0नि0 संदीप राय थानाध्यक्ष जगदीशपुर मय हमराह थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि WCCB द्वारा सूचना मिली कि सफारी स्ट्रोम संख्या यूपी 32 ईआर 2656 से कुछ लोग अवैध कछुआ लादकर वाराणसी के रास्ते बंगाल ले जाने वाले हैं। उक्त सूचना से क्षेत्रिय वन अधिकारी मुसाफिरखाना श्री दिनेश बडोला को अवगत कराया गया जिससे वह अपनी टीम के साथ कादूनाला पर पहुंच गये। उ0नि0 संदीप राय थानाध्यक्ष जगदीशपुर मय हमराही मिश्रौली हाईवे से आगे मुसाफिरखाना रोड पर आगे बढ़े कि उक्त संदिग्ध वाहन सफारी स्ट्रोम संख्या यूपी 32 ईआर 2656 आती हुयी दिखाई दी जिसे ओवर टेक कर रोकने का प्रयास किया तो चालक द्वारा गाड़ी तेज करके भागने का प्रयास किया जिसका पीछा करते हुए कादूनाला थौरी मोड़ पर पहुंचे जहां वन अधिकारी श्री दिनेश बडोला मय टीम के मौजूद थे उनके द्वारा घेर कर रोका गया तो वाहन चालक थौरी रोड पर गाड़ी खड़ी करके पेड़ों व झाड़ियों का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा मौके पर गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति मिला जिसे पकड़कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम 1.दीपक पुत्र नकछेद निवासी गांधीनगर पालपुर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी बताया तथा पुलिस टीम द्वारा सफारी गाड़ी को चेक करने पर 26 बोरी तथा चादर में बंधे हुए कुल 782 कछुआ विभिन्न प्रजाति के प्रतिबंधित वन्य जीव के साथ अभियुक्त दीपक पुत्र नकछेद निवासी गांधीनगर पालपुर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी को समय 07:05 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी गिरफ्तारी के आधार पर थाना जगदीशपुर में मु0अ0स0 399/22 धारा 9,48क,49,51,52 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि यह कछुए 1.हजारी पुत्र बेबा 2.पन्नी पत्नी स्व0 अमर सिंह 3.विशाल पुत्र सुरेश 4. सन्नी पुत्र मुन्ना निवासीगण गांधी नगर पालपुर थाना जगदीशपुर के हैं जिनको हम लोग तालाब, नदी, झील से पकड़कर कलकत्ता ले जाकर बेचते हैं। वहाँ पर हम लोगों को अच्छी कीमत मिल जाती है, हम लोग 782 कछुआ ले जा रहे थे वहाँ करीब 07 लाख रुपये हम लोगों को मिल जाता। इसलिये हम लोग इसको बेचने के लिये कलकत्ता ले जा रहे थे।

गिरफ्तारी का स्थान:- कादूनाला थौरी मोड़, **दिनांक:-** 18.11.2022 **समय:-** 07:05 बजे सुबह

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- दीपक पुत्र नकछेद निवासी गांधीनगर पालपुर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।

फरार अभियुक्त:-

- सनी पुत्र मुन्ना सिंह नि0 ग्राम गांधीनगर मौजा पालपुर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही:-

- मु0अ0स0 399/22 धारा 9,48क,49,51,52 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।

बरामदगी:-

1. 782 अदद कछुआ विभिन्न प्रजाति के प्रतिबंधित वन्य जीव।
2. तस्करी/परिवहन में प्रयुक्त सफारी स्ट्रोम संख्या यूपी 32 ईआर 2656।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 सदीप राय 2.उ0नि0 शेष नाथ दुबे 3.उ0नि0 जगदीश चन्द्र 4.हे0का0 विजय भान सिंह 5. हे0का0 अतेन्द्र सिंह 5.का0 अरुण कुमार 6.का0 सुरेश मिश्रा 7.का0 अतुल यादव 8.का0 कमल दीक्षित 8.का0 विजय यादव

वन टीम-

1.वन अधिकारी दिनेश बडोला, 2.वनउ0नि प्रयाग प्रसाद गुप्ता, 3.वनरक्षक ओमप्रकाश